कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा

पत्रांक : विज्ञप्ति/ 4141–52 /2017–18 दिनांक 24 अगस्त 2017

अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–1218/ पन्द्रह–2–17–1072/2017 शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 21.8.2017 के क्रम में जनपद अमरोहा में संचालित राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रिक्त पदो के सापेक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अहर्ताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं की मानदेय पर इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 06.09.2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हता–

1. बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका की शैक्षिक अर्हता, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हता के समान हो।
2. बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अतिरिक्त समान अर्हता रखने वाले कार्यरत शिक्षक भी प्रतिनियुक्ति हेतु आवदेन कर सकते है।
3. इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अमरोहा में सीधे दिनांक 06.09.17 की सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 10:00 बजे से हिन्दी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान विज्ञान/गणित, संगीत गायन तथा दिनांक 12.09.2017 को उर्दू, कलां, जीव विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, अंग्रेजी विषयों का साक्षात्कार राजकीय बालिका इण्टर कालेज अमरोहा में प्रातः 10:00 बजे से किया जायेगा। जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदो के सापेक्ष रिक्त पदों का विद्यालयवार/विषयवार विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रिक्त पदों का विषयवार विवरण										
		हिन्दी	अंग्रेजी	विज्ञान/ गणित	संस्कृत	सा0 विज्ञान	कला	गृह विज्ञान	शा0 शिक्षा	संगीत गायन	जीव विज्ञान	उर्दू
1	रा0इ0का0 अमरोहा	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
2	अम्बेडकर रा0 इ. का. उझारी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	रा0इ0का0 मिठठेनपुर कलां	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
4	रा0बा0इ0का0 अमरोहा	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
5	रा0बा0इ0का0 गजरौला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	रा0क0इ0का0 हसनपुर	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
7	रा0इन्द्रावती क.इ.का. बछरायुँ	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
8	रा0हाईस्कूल बछरायुँ	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
9	रा0हाईस्कूल देहरी गूर्जर	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
10	रा0हाईस्कूल रहरई	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
11	रा0हाईस्कूल झुण्डीमाफी	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
12	रा0हाईस्कूल ढयौटी	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
13	रा0हाईस्कूल याकूबपुर	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
14	रा0हाईस्कूल अल्लीपुर खादर	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
15	रा0 हाईस्कूल हसनपुर कटिया	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
16	रा0हाईस्कूल खुंगावली	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
17	रा0 हाईस्कूल चांदरा	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
18	रा0 हाईस्कूल पट्टी खादर	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	योग	9	11	8	1	9	13	12	8	2	3	2

नोट– राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त स0अ0/प्रवक्ता भी अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते है। चयन साक्षात्कार के आधार पर प्रथम वरीयता के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों का चयन किया जायेगा, तत्पश्चात् पद रिक्त रहने होने की दशा में सेवानिवृत्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त सेवानिवृत्त अध्यापकों में से चयन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति/मानदेय की शर्तें–

1. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले सहायक अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.03.2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।
2. सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक 31.03.2018 तक अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।
2. सेवानिवृत्त शिक्षकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी तथा उन्हें स्वस्थता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमन्य होगी, जो सम्बन्धित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व, यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये।
4. प्रतिनियुक्ति तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति नितांत अस्थायी प्रकृति की होगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
5. प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम चरण में मा0 शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण/समायोजन नीति 2017 सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 29.6.2017 में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयों में रिक्त पद के प्रति की जायेगी।
6. प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित शिक्षकों को मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा तथा उनकी तैनाती के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।
7. प्रतिनियुक्ति पर आये अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा।
8 प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कर्मियों द्वारा भविष्य में संविलियन की मांग नहीं की जायेगी। इस आशय का शपथ–पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
19 परिषदीय विद्यालय में मौलिक रूप से कार्यरत ऐसे अध्यापकों को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी कि परिषदीय अध्यापक का धारणाधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस जाने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्त तैनाती के जनपद एवं उनके मूल पद के सापेक्ष रहेगा।

(रामाज्ञा कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक
अमरोहा

प्रतिनियुक्ति/मानदेय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती के आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित विद्यालय का नाम 1...
2. ....
3. ....

स्व प्रमाणित
नवीनत् रंगीन
फोटो

1. आवेदित पद का नाम (विषय सहित)...
2. अभ्यर्थी का नाम...
3. पिता/पति का नाम...
4. जन्म तिथि .... आयु वर्ष में.............................
5. कार्यरत विद्यालय/सेवानिवृत्त होने वाले विद्यालय का नाम...
6. नियुक्ति तिथि.............................. सेवानिवृत्ति तिथि.............................
7. स्थायी पता...
8. पत्र व्यवहार का पता...
9 दूरभाष.............................. ई–मेल आई.डी.............................

10 शैक्षिक योग्यता का विवरण –

परीक्षा का नाम	वर्ष	समस्त विषय	बोर्ड / संस्था	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक						
बी.एड.						
अन्य						

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त उपरोक्त सूचनाऐं सही है, मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाऐं गलत पायी जाती है, तो मेरा चयन / अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाये, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..................................

अभ्यर्थी का पूरा पता..................................

पृ०सं० : विज्ञप्ति / 4141-52 / 2017–18 दिनांक तदैव

प्रतिलिपि – निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय अमरोहा
2. मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरोहा
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अमरोहा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. कार्यालय जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी / जिला सूचना अधिकारी / कोषागार / नगर पालिका / जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. उपजिलाधिकारी अमरोहा / धनौरा / हसनपुर / नौगावा सादात को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. खण्ड विकास अधिकारी, अमरोहा / धनौरा / जोया / हसनपुर / गजरौला / गंगेश्वरी / नौगावां / उझारी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी अमरोहा / धनौरा / जोया / हसनपुर / गजरौला / गंगेश्वरी / नौगावां / उझारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
9. नगर शिक्षा अधिकारी अमरोहा / हसनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु
10. समस्त प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, उ०मा०वि० / इण्टर कालेज जनपद अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

11 अध्यक्ष / महामंत्री राजकीय / माध्यमिक / जूनियर / प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से विज्ञप्ति का सम्यक प्रचार–प्रसार हेतु।

जिला विद्यालय निरीक्षक

अमरोहा